न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 66/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 18.02.2020
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लि0 ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान, पंजीकृत कम्पनी अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट जरिये संतोष कुमार मरच्चा आत्मज श्री बापूलाल मरच्चा, सीनियर मैनेजर (लॉ) पावर आफ अटोर्नी होल्डर एवं प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लि0 ग्राम कुदायला, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत सातलखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सातलखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक – अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र.1

::निर्णय::

दिनांक 25.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के आदेश संख्या राजस्व–III/2077 दिनांक 11.07.2017 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/1079 दिनांक 06.07.2017 एवं ग्राम पंचायत सातलखेडी की मांग के आधार पर ग्राम सातलखेड़ी के खसरा सं0 23 की 1.31 है0, खसरा सं0 224 की 0.80 है, खसरा सं0 225 की 0.36 है0 कुल किता 3 रकबा 2.47 है0 गै0 मु0 पठार सिवायचक भूमियां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत

अति. सं. आयुक्त
कोटा

आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की जाकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 ए के तहत स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिनांक 11.07.2017 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.07.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वस्तुस्थिति एवं कानून, न्याय व तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने ग्राम सातलखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की खसरा नं0 223 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं0 224 की 80 है एवं खसरा नं0 225 की 0.36 है0, जुमला तीन किता की 2.47 है0 भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आबादी विस्तार के लिए आरक्षित की जाकर अधिनियम की धारा 102ए के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी को आवंटित कर स्थानान्तरित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही हुक्म जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि अपीलान्ट कम्पनी को 9.166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लाइम स्टोन खनन कार्य हेतु लीज स्वीकृत की गई थी। अपीलान्ट कम्पनी के लीज क्षेत्र मे ग्राम सातलखेडी, दुर्जनपुरा, लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट, जुल्मी, सुकेत, अमृतखेडी आदि कई राजस्व ग्रामो की आराजियात आती है। उक्त लीज समय–समय पर नवीनीकृत एवं विस्तारित होती रही है। अपीलान्ट कम्पनी के लीज क्षेत्र मे ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की हाल खसरा नम्बर 223 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं0 224 की 0.80 है0 एवं खसरा नं0 225 की 0.36 है0, जुमला तीन किता की 2.47 हेक्टर भूमि सहित कुल 49.25 हेक्टअर आराजियात आती है । अपीलान्ट कम्पनी की खातेदारी की हाल खसरा नं0 23 की 0.16 है0 भूमि भी अपीलान्ट के लीज क्षेत्र मे आती है। उक्त लीज की अवधि सन् 2025 तक प्रभावशील है, जिसकी पंजीकृत लीज डीड राजस्थान राज्य द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित की गई है। अपीलान्ट को लीज क्षेत्र मे खनन कार्य करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष रायल्टी एवं डेड रेन्ट के रूप मे करोड़ो रूपयो की राशि राज्य सरकार को अदा की जा रही है। अपीलान्ट कम्पनी लीज क्षेत्र की उपरोक्त भूमि पर बहैसियत पट्टागृहिता वैधानिक रूप से काबिज है। उपरोक्त भूमि अपीलान्ट कम्पनी के लीज क्षेत्र मे स्थित होने से उपरोक्त भूमि ओकयुपाइड

24/06/2025

लेण्ड की तारीफ मे आने से कानूनन न तो उक्त भूमि आरक्षित की जा सकती थी, न ही रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को आवंटित की जाकर स्थानान्तरित की जा सकती थी। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा अवैध, त्रुटिपूर्ण प्रभावशुन्य एवं अधिकार विहीन होने से निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार रामगंजमण्डी ने ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की प्रश्नगत आराजी आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किये जाने के लिए प्रस्ताव उप जिला कलेक्टर को प्रेषित किये गये थे। परन्तु उप जिला कलक्टर की सिफारिश एवं जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश मे खसरा नं0 223 रकबा 1.31 हेक्टर के स्थान पर सहवन से खसरा नं0 23 रकबा 1.31 है0 अंकित हो 23 गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि खसरा नं0 23 भी अपीलान्ट कम्पनी के खातेदारी मे होकर उसके लीज क्षेत्र मे स्थित है, जिसका रकबा 0.16 है0 है, 1.31 हेक्टर रकबा नही है, जिसकी पुष्टि राजस्व अभिलेख से होती है। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 331 दिनांक 16.08.2018 मे भी खसरा नं0 223 का रकबा 1.31 हेक्टर अंकित किया जाकर रेस्पो0 क्रम 2 के खाते दर्ज की गई है, जो सर्वथा अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। खसरा नं0 23 की 0.16 है0 भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की होने से कानूनन न तो आरक्षित की जा सकती है और न ही रेस्पो० क्रम 2 को आवंटित की जा सकती है। इस आधार पर भी हुक्म जेर अपील निरस्त होने योग्य है। ग्राम सातलखेडी की खसरा नं0 224 की 0.80 है0 भूमि अपीलान्ट कम्पनी के लीज क्षेत्र मे आती है। उपरोक्त भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख मे गैर मुमकिन खाल दर्ज है। उक्त भूमि कानूनन न तो आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित की जा सकती है और न आवंटित की जा सकती है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा अवैध, त्रुटिपूर्ण अधिकार विहीन होने से निरस्त होने योग्य है एवं खसरा सं0 225 की 0.36 है0 भूमि किस्म गै0मुमकिन पठार भी अपीलांट के लीज क्षेत्र में स्थिति होने से काबिल एलोटमेंट नहीं था, इस कारण उक्त आदेश निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट कम्पनी उपरोक्त भूमि पर बहैसियत पटटागृहीता एवं खसरा नं0 23 की भूमि पर बहैसियत खातेदार एवं पटटागृहीता काबिज है। इस प्रकार अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि मे हित निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट हुक्म जेर अपील से व्यथित पक्षकार (एग्रीव्ड परसन) होने से अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमाई जाकर प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार कि जाकर ग्राम सातलखेड़ी की आराजी की हद तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.07.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अति. रा. आयुक्त
कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही हुक्म जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अपीलान्ट कम्पनी को 9.166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लाइम स्टोन खनन कार्य हेतु लीज स्वीकृत की गई थी। अपीलान्ट कम्पनी के लीज क्षेत्र मे ग्राम सातलखेडी, दुर्जनपुरा, लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट, जुल्मी, सुकेत, अमृतखेडी आदि कई राजस्व ग्रामो की आराजियात आती है। उक्त लीज समय–समय पर नवीनीकृत एवं विस्तारित होती रही है, जो दिनांक 31.03.2027 तक विस्तारित की हुई है। अपीलान्ट कम्पनी के लीज क्षेत्र मे ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की हाल खसरा नम्बर 223 की 1.31 हेक्टर, खसरा नं0 224 की 0.80 है0 एवं खसरा नं0 225 की 0.36 है0, जुमला तीन किता की 2.47 हेक्टर भूमि सहित कुल 49.25 हेक्टअर आराजियात आती है । अपीलान्ट कम्पनी की खातेदारी की हाल खसरा नं0 23 की 0.16 है0 भूमि भी अपीलान्ट के लीज क्षेत्र मे आती है। उक्त लीज की अवधि सन् 2025 तक प्रभावशील है, जिसकी पंजीकृत लीज डीड राजस्थान राज्य द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित की गई है। अपीलान्ट को लीज क्षेत्र मे खनन कार्य करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। कम्पनी लीज क्षेत्र की उपरोक्त भूमि पर बहैसियत पटटागृहिता वैधानिक रूप से काबिज है। तहसीलदार रामगंजमण्डी ने ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की प्रश्नगत आराजी आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किये जाने के लिए प्रस्ताव उप जिला कलेक्टर को प्रेषित किये गये थे। परन्तु जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश मे खसरा नं0 223 रकबा 1.31 हेक्टर के स्थान पर सहवन से खसरा नं0 23 रकबा 1.31 है0 अंकित हो 23 गया। जबकि खसरा नं0 23 भी अपीलान्ट कम्पनी के खातेदारी मे होकर उसके लीज क्षेत्र मे स्थित है, जिसका रकबा 0.16 है0 है, 1.31 हेक्टर रकबा नही है, जिसकी पुष्टि राजस्व अभिलेख से होती है। ग्राम सातलखेडी की खसरा नं0 224 की 0.80 है0 भूमि अपीलान्ट कम्पनी के लीज क्षेत्र मे आती है तथा राजस्व अभिलेख मे किस्म गैर मुमकिन खाल दर्ज है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि कानूनन न तो आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित की जा सकती है और न आवंटित की जा सकती है। इसी प्रकार खसरा सं0 225 की 0.36 है0 भूमि किस्म गै0मुमकिन पठार भी अपीलांट के लीज क्षेत्र में स्थिति होने से काबिल एलोटमेंट नहीं

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

था, इस कारण उक्त आदेश निरस्तनीय हैं। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमाई जाकर प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार कि जाकर ग्राम सातलखेड़ी की आराजी की हद तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.07.2017 निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण DNJ 2012(1) [Raj.] 413 पेश किये गये।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/1079 दिनांक 06.07.2017 एवं ग्राम पंचायत सातलखेडी की मांग के आधार पर ही ग्राम सातलखेड़ी की प्रश्नगत आराजियात का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की जाकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 ए के तहत स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिनांक 11.07.2017 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है। अपीलांट का उक्त आराजी पर किसी प्रकार से हित निहित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील प्रस्तुत कर अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील पेश करने में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी का निर्णय किया जाना आवश्यक प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलान्ट कम्पनी के लीज क्षेत्र मे ग्राम सातलखेडी, दुर्जनपुरा, लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट, जुल्मी, सुकेत, अमृतखेडी आदि कई राजस्व ग्रामो की आराजियात आती है। उक्त लीज समय–समय पर नवीनीकृत एवं विस्तारित होती रही है, जो दिनांक 31.03.2027 तक विस्तारित की हुई है। अपीलान्ट कम्पनी उपरोक्त भूमि पर बहैसियत पटटागृहीता एवं खसरा नं0 23 की भूमि पर बहैसियत खातेदार एवं पटटागृहीता काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबंध में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया। ऐसी

अति. सं. आयुक्त
कोटा

स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से प्रकरण में अपीलांट को सुना जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक प्रकट होता है।

8. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी के पत्र क्रमांक/राजस्व/17/1118 दिनांक 05.07.2017 से उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रेषित प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित आराजी खसरा सं0 223 रकबा 1.31 है0, खसरा सं0 224 रकबा 0.80 है0 एवं खसरा सं0 225 रकबा 0.36 है0 किस्म गै0मु0 पठार कुल रकबा 2.47 है0 भूमि ग्राम सातलखेड़ी पर मौके पर आबादी बसी होना वर्णित किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट एंव तहसीलदार रिपोर्ट से संपूर्ण खसरे पर आबादी होना प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजी पर आबादी होने का कोई खण्डन नहीं किया गया और न हीं आबादी के खण्डन में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किये गये। इससे सिद्ध होता है कि प्रश्नगत आराजी पर आबादी बसी हुई हैं तथा अपीलांट के द्वारा उक्त आराजी पर खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के द्वारा अपील मीमों के तथ्यों को सिद्ध नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/1079 दिनांक 06.07.2017 एवं ग्राम पंचायत सातलखेडी की मांग के आधार पर ही ग्राम सातलखेड़ी की प्रश्नगत आराजियात का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की जाकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 ए के तहत स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिनांक 11.07.2017 पारित किया गया, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होता है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा